

सं० प्रा०आ०-5-0-22190-1226।सा०पु०

बिहार सरकार

साहाय्य एवं पुनर्वासि विभाग

प्रेषक

श्री वि० के० शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी समाहर्ता।

पटना-15, दिनांक 25 मई 1990 ई०

विषय—बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में साहाय्य विभागीय मोटर बोटों की मरम्मती की स्वीकृति हेतु समाहर्ता/प्रमंडलीय आयुक्त/साहाय्य आयुक्त को शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

सहाय्य,

निदेशानुसार विभागीय पत्र संख्या 1877, दिनांक 17 फरवरी 1982 को संशोधित करते हुए कहना है कि 1976 एवं 1977 में बाढ़ के समय साहाय्य कार्य हेतु विभिन्न जिलों को सरकार द्वारा मोटर बोट दिये गये हैं और बाढ़ के समय भविष्य में भी बाढ़ से प्रभावित जिलों में इस कार्य हेतु मोटर बोटों की आपूर्ति की जायेगी। ऐसे मोटर बोटों की मरम्मती की आवश्यकता होगी और इसके लिये वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन आवश्यक है।

राज्य सरकार ने इस संबंध में विचार कर साहाय्य एवं पुनर्वासि आयुक्त/सभी प्रमंडलायुक्तों/समाहर्ताओं को निम्नलिखित शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है:—

किस पदाधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित की जायेगी।	किस कार्य के लिये शक्ति प्रत्यायोजित की जायेगी।	प्रत्यायोजित शक्ति का स्वरूप
1	2	3
1. आयुक्त-सह-सचिव, साहाय्य एवं पुनर्वासि विभाग।	मोटर बोटों की मरम्मती	(1) प्रति मोटर बोट प्रतिवर्ष 30,000 (तीस हजार) रु० तक व्यय करने की स्वीकृति बशर्ते कि बजट में उक्त राशि का उपबंध हो। (2) इससे अधिक राशि के व्यय पर वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। 30,000 रु० की शक्ति In addition to collector commissioner delegated power, न होकर Inclusive होगी यानि कि एक वित्त वर्ष में एक मोटर बोट की मरम्मती पर 15,000 रु० तक व्यय कर लेने के पश्चात् अतिरिक्त व्यय की कोई भी स्वीकृति देने की सक्षमता साहाय्य आयुक्त को ही होगी इसके लिये समाहर्ता अपने प्रमंडलीय आयुक्तों के माध्यम से पूरा विवरण देते हुए प्रस्ताव साहाय्य आयुक्त को भेजेंगे।
2. प्रमंडलीय आयुक्त	.. मोटर बोटों की मरम्मती	(2) प्रत्येक मोटर बोट पर एक वित्तीय वर्ष में 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये की स्वीकृति बशर्ते कि इसपर समाहर्ता द्वारा कोई अन्य व्यय न किया गया हो तथा

1	2	3
3 समाहर्ता	.. मोटर बोटों की मरम्मती	<p>इसके लिये आवंटन उपलब्ध हो, उक्त राशि से अधिक एक मोटर बोट पर एक ही वित्त वर्ष में होने की संभावना हो तो वैसी स्थिति में वे अपना प्रस्ताव साहाय्य आयुक्त को भेजेंगे ।</p> <p>(3) प्रत्येक मोटर बोट की मरम्मती पर एक वित्तीय वर्ष के लिये 5,000 रु० तक की स्वीकृति बशत कि संबंधित मद में व्यय हेतु राशि उपलब्ध हो ।</p> <p>अगर एक मोटर बोट पर एक वर्ष में 5,000 रु० से अधिक खर्च 15,000 रु० तक खर्च होने की संभावना हो तो समाहर्ता अपना प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को स्वीकृति हेतु भेजेंगे ।</p>

पटना-15, दिनांक 25 मई 1990 ई०

वि० के० शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापक 1226-सा०पु०

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, रांची।पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

पटना-15, दिनांक 25 मई 1990 ई०

वि० के० शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापक 1226-सा०पु०

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।

पटना-15, दिनांक 25 मई 1990 ई०

वि० के० शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापक 1226-सा०पु०

प्रतिलिपि—वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

पटना-15, दिनांक 25 मई 1990 ई०

वि० के० शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित